

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मई 2013—वैशाख 17, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

अधिसूचना क्र. 53-एफ-1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहवित्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

क्र. (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (3)
1.	नगर परिषद् लटेरी, जिला विदिशा	1. श्री जयप्रकाश पिता बृजमोहन शर्मा, तह. लटेरी, जिला विदिशा. 2. श्री नन्नु सिंह राजपूत पिता श्री धीरज सिंह राजपूत, मजरा रमपुरा तह. लटेरी, जिला विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.